

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र/19/2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा, नई मण्डी स्टेशन रोड भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
.....प्रार्थी सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

श्रीमती ममता पत्नी सुभाष चन्द (अ) ग्राम न्याथा तहसील नदबई जिला भरतपुर (ब) प्लॉ न.129  
जसवन्त नगर अनाह भरतपुर

श्री सुभाष चन्द पुत्र दालचन्द सेवर मेन मार्केट, सेवर भरतपुर

.....अप्रार्थी ऋणी

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र भोलाराम 527 सेवर बाजार सेवर भरतपुर

.....अप्रार्थी गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन  
ऑफ फाइनांसियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश

दिनांक 13.2.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी० अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी० ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी० ने दिनांक 16-1-2016 को प्रार्थी बैंक से 800000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी० ने प्लॉट नम्बर 129 जसवन्त नगर अनाह, भरतपुर (क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट) स्थित सम्पत्ति जिसके पूर्व में-प्लॉट नं. 130, पश्चिम में- खाली जमीन, उत्तर में-रोड, दक्षिण में-प्लॉट नं. 153, 154, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी०/ऋणी के खाता को दिनांक 29.7.2018 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 30.9.2018 तक 656896.40/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी० पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी० ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस दिनांक 10-10-2018 को अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि यह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी० द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अबलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी० / ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस दिनांक 10-10-2018 अप्रार्थी को

.....2

जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज०)

(2)

प्रा.पत्र/08/2019

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक बनाम श्रीमती ममता वगै०

बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी० द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी० ने प्लॉट नम्बर 129 जसवन्त नगर अनाह, भरतपुर (क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट) स्थित सम्पत्ति जिसके पूर्व में-प्लॉट नं. 130, पश्चिम में- खाली जमीन, उत्तर में -रोड़, दक्षिण में-प्लॉट नं. 153,154, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

( डॉ० अरुण मलिक )

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर  
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official